

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

निर्वाचन आवश्यक/फैक्स

संख्या 1065/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 17/03/2008

प्रेषक,

जे0आर0लापड़,
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।

विषय-आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु उम्मीदवारों के लिए परिचय पत्र की व्यवस्था।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय पिथौरागढ़ के अपने पत्र संख्या 522/पं0नि0/निर्वाचन/2007-08 दिनांक 28 फरवरी, 2008 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्धारित परिचय पत्र प्रारूप भेजे जाने की जिज्ञासा की गयी है।

इस सम्बन्ध में राज्य आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकरण पर आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आयोग के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-744/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 12/12/2007 में “क्रमांक-10” का प्रारूप में वाक्य “एतद्द्वारा.....” से उक्त स्थिति में काट दिया जायेगा।

भवदीय,

ह0.

(जे0आर0लापड़)

संयुक्त सचिव।

संख्या-1065(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/786/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0.

(जे0आर0लापड़)

संयुक्त सचिव।